अनुच्छेद 15 (3) - राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

Article 15 (3) - Empowers the State to make certain special provisions for women and children based on their special situation.

↓

Affirmative Discrimination

रचनात्मक भेदभाव



अनुच्छेद- 15 (4) इसके द्वारा राज्य को निम्न के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है- Article 15 (4) empowers the State to make special provisions for the following-

1. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, For socially and educationally backward citizens (SEBC)
2. अनुसूचित जाति के लिए, तथा for Scheduled Castes, and (SC)
3. अनुसूचित जनजाति के लिए। For Scheduled Tribes. (ST)

ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 (4) के तहत् ही किया गया है । It is noteworthy that reservation in educational institutions is provided under Article 15 (4)

Art. 15(4) ⇒ Reservation (आरक्षण)

↳ Educational Institutes
शैक्षणिक संस्थान

⇓
सरकारी (Government)

- OBC ⇓ other Backward classes
- SEBC
- SC
- ST

Art. 15(5)

⇓

Reservation (आरक्षण)

⇓

Private & Higher educational Institute (निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में) ⇓

- ⇒ SEBC
- ⇒ SC
- ⇒ ST

अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Article 15(5) provides for reservation of seats for admission of students in private educational institutions.

↳ SEBC
↳ SC, ST

अनुच्छेद 15 (6), 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया है" I Article 15(6) inserted by the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019".

⇓
Art. 16(6)

Reservation (आरक्षण) ⇒ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(Economic weaker section)
⇓
EWS ⇒ 10%

अवसर की समानता (Equality of Opportunity)

अनुच्छेद- 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। Article 16 guarantees equality of opportunity in public employment. (सरकारी नौकरी में अवसर की समानता)

- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद- 16 (1)] All citizens shall have equal opportunity in respect of employment or appointment to any office under the State. Article- 16 (1)] 1)

• इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्‌भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। [अनुच्छेद-16 (2)]। There shall be no discrimination among citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, origin and residence. [Article 16 (2)].

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्‌भव एवं निवास → भारत नागरिक

(अस्पृश्यता का अन्त)

(Abolition of Untouchability)

अनुच्छेद- 17, / Article- 17, ⇒ छुआछूत

अनुच्छेद- 35 संसद् को अस्पृश्यता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Article 35 gives power to the Parliament to make laws regarding untouchability.

⇓

SC/ST Act (अधिनियम)

उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles)

अनुच्छेद- 18

अनुच्छेद-18 (1) के अनुसार राज्य, सेना (Military) तथा विद्या (Academic) सम्बन्धी सम्मान के शिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

Dr.

Article 18

Article 18(1) provides that the State shall not confer any title or title except military and academic honours.

उपाधियाँ (Titles) => लार्ड, राजा, महात्मा, सरदार, राय etc.

↳ exception अपवाद => विद्या, सेना

Sports (खेल)

↳ Award → पुरस्कार ✓

⇓

नाम के आगे प्रयोग नहीं। ✓

Art. 12 ⇒ राज्य की परिभाषा

Art. 13 ⇒ न्यायिक पुनर्विलोकन

Art. 14 ⇒ विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण

Art. 15 ⇒ भेदभाव का प्रतिषेध

Art. 15(1) ⇒ 5 ⇒ धर्म, मूलवंश, जाति; जन्मस्थान → भेदभाव ✗

Art. 15(2) ⇒ सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव ✗

Art. 15(3) ⇒ महिलाओं और बच्चे के लिए विशेष उपबंध

Art. 15(4) ⇒ Reservation
- ↳ Govt. schools
- ↳ SEBC, SC, ST

⇒ Art. 15(5) ⇒ Reservation ⇒ निजी संस्थान
SEBC, SC, ST

⇒ Art. 15(6) / Art. 16(6) > Add on ⇒ 103rd A 2019 ⇒ Reservation ⇒ 10% ⇒ EWS

⇒ Art. 16 ⇒ समान अवसर

Art. 16(1) ⇒ रोजगार एवं नियुक्ति

Art. 16(2) ⇒ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास

Art. 17 ⇒ अस्पृश्यता का अंत

Art. 18 ⇒ उपाधियों का अंत ⇒ अपवाद < विद्या / सेना ✓